International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.394-400

थारू लोकगीतों में सामाजिक विकास का प्रसंगः एक अध्ययन

डॉ. नवीन कुमार सिंह*

प्रस्तावना

वर्तमान अध्याय में थारू लोकगीतों में बदलते हुए सुर, लय और धुन का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि संगीत के क्षेत्र में हो रहे व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बिहार के थारू लोकगीतों में भी देखा जा सकता है। पुराने वाद्ययंत्रों जैसे नाल, मादर, तासा, डफली, छाल, मृदंग, ढ़ोलक, हरमोनियम के अतिरिक्त अब इलेक्ट्रानिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग थारू लोकगीत के क्षेत्र में किया जा रहा है। थारू लोकगीत से जुड़े कई कैसेट भी बाजार में मिलने लगे है। थारू लोकगीत के कई गायक अपने कैसेट के जरिए आर्थिक आमदनी भी करते है। इस प्रकार के लोकगीतों का ध्वनि संयोजन आधुनिक वाद्य संयंत्रों के आधार पर होता है। इसमें कम्प्यूटर, लैपटॉप, कैसिनों, वीडियों तथा अन्य आधुनिक तकनीकी संयंत्रों के सहारे लोकगीतों का अधिक मनमोहक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आधुनिक जीवन से जुड़े पक्षों का चित्रण भी मिलता है। जाहिर है कि थारू समाज में भी परिवर्तन और विकास का दौर तेजी से चल रहा है। प्रेम के स्वरूप में भी बदलाव हो रहा है। उनके यौन जीवन भी बदल रहे है। उनके अनुराग तथा प्रणय के गीतों में भी आधुनिकीकरण के रस का संचार हो रहा है। वस्तुतः अब गीतों में फिल्मी धुन का उपयोग हो रहा है। जाहिर है कि इस तरह के थारू लोकगीतों के विकास से कुछ लाभ भी होता है जबकि इससे थारू की परंपरागत संस्कृति का नुकसान भी हो रहा है। पुराने थारू मुलगाईन तथा नृतक एवं गायक अब उपेक्षित हो रहे है तथा आधुनिक तर्ज पर गाने वाले गायक एवं संगीत निर्देशक की चाँदी कट रही है। बेतिया के कई आधुनिक गायक भी भोजपूरी के तर्ज पर थारू लोकगीतों का गायन करते है तथा आकेस्ट्रा पार्टी में लोकगीत का समां बांध देते है। इससे पहले कि थारू समाज के संदर्भ में अन्य बातों पर चर्चा की जाए सामाजिक विकास का समाजशास्त्रीय अवधारणा को प्रस्तुत करना उचित प्रतीत होता है।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास की अवधारणा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। विकास एक सतत एवं परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास सामाजिक संरना के प्रत्येक पहलू में होता है चाहे वह सामाजिक हो अथवा आर्थिक, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक। सामाजिक विकास संरचना के सामाजिक पक्ष से संबंधित है। इस रूप में सामाजिक विकास की अवधारणा महत्त्वपूर्ण होने के साथ–साथ व्यापक भी हो जाती है। यही कारण है कि समाजशास्त्रीय कृतियों में विकास संबंधी विवेचन में सर्वाधिक उल्लेख सामाजिक विकास का ही मिलता है। यद्यपि मूरे और पारसन्स जैसे समाजशास्त्रियों ने भी अपनी कृतियों में सामाजिक विकास की अवधारणा का उल्लेख किया है। किंतु सामाजिक विकास पर सबसे महत्त्वपूर्ण विचार हॉबहाउस में है। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास का अर्थ मानव मस्तिष्क के विकास से लगाया है, जिससे मनुष्य का मानसिक विकास होता है और अन्ततः सामाजिक विकास होता है।

सामाजिक विकास की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित है :

हॉबहाउस[1] के अनुसार ''विकास से मेरा अभिप्राय किसी भी प्रकार की प्रगति से है, जिससे कि मनुष्य संबंधित है।''

किम[2] के अनुसार ''सामाजिक विकास का अर्थ उन उद्देश्यों को प्राप्त करने से है जिनमें समाज के अभाव एवं अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहे अधिकांश व्यक्ति उपलब्ध सामाजिक संसाधनों में से अपने हिससे की मांग कर सके।''

[6] पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान संकाय, सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, झारखण्ड।

वार्नर के अनुसार "समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास है।"

उपरोक्त परिभाषाएँ सामाजिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वार्नर ने व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि अर्थात् सुधार को सामाजिक विकास माना है तो किम ने और भी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इंगित किया है कि समाज के सुविधाविहीन वर्गो का विकास अर्थात् संतुलित विकास ही सामाजिक विकास है। किम ने अपने विचारों में सामाजिक समानता पर बल दिया है।

सामाजिक विकास मनुष्य ने जीवन स्तर में वृद्धि से संबंधित है। अर्थात् यह मानव जीवन का निर्माण करने वाली सभी पहलुओं में संबंधित है। सामाजिक विकास में सामाजिक संबंध परिवर्तित हो जाते है तथा समाजों की सरल प्रकृति जटिल हो जाती है। सामाजिक विकास निरंतर एवं एक निश्चित दिशा में होता है। संक्षेप में सामाजिक विकास की विशेषताओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है :

- सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के सभी वर्गो का समानता के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाता है।
- सामाजिक विकास मानव जीवन के सभी पहलुओं में सुधार से संबंधित है।
- इसमें परिवर्तन समाज में हो रही प्रगति के अनुरूप होता है।
- सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शो में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन इनके प्रभाव में कमी के रूप में होता है।
- समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है।[3]
- सामाजिक विकास के लिए सार्थक नीति नियोजन की आवश्यकता पड़ती है।
- सामाजिक संरचना की निर्मायक इकाईयों की पारस्परिक अंतर्निर्भरता में वृद्धि होती है।
- सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है अर्थात् सामाजिक व्यवस्था में जन्मजात योग्यता के स्थान पर मनुष्य को उसके कार्य–कौशल के आधार पर पहचाना जाता है।
- समाज में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होती है।
- सामाजिक विकास में वृद्धि के साथ–साथ मनुष्यों की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होने लगती है तथा स्वविवेक से निर्णय लेने के अधिकार बढ़ जाते है।
- समाज में सहयोग की भावना में तीव्र वृद्धि होने लगती है।
- सामाजिक विकास संपूर्ण समाज के समग्र विकास से जुड़ी अवधारणा है। अतः इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है।
- जब समाजशास्त्री सामाजिक विकास के आयाम में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करते है :
- आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति।
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम स्तर, को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक आहार, प्रदूषण रहित वातावरण, चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधाएँ।
- रोजगार के पर्याप्त अवसर तथा रहन–सहन का उंचा स्तर, योग्यता व कार्य–कुशलता के आधार पर न कि जाति, प्रजाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर।
- शिक्षा का समुचित विस्तार जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा, पेशेवर व नैतिक शिक्षा का समावेश हो ताकि समाज में सृजनात्मक क्षमता का विकास, शोध, आविष्कार आदि संभव हो सके।
- बिजली, परिशुद्ध पानी, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ सबसे लिए सुलभ होना।
- समाज के पिछड़े व शोषित वर्गो, किसानों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व विकलांगों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होना।
- विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विषमताओं को दूर करना ताकि समाज में समता लाते हुए सामाजिक बदलाव संभव हो सके।

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए तरह–तरह के कल्याणकारी कार्यक्रमों का विकास एवं विस्तार किया है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विधेयक पारित किया है। निम्न विधेयक को प्रस्तुत अध्याय में उपस्थित किया जा रहा है :

नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1955 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, 1989

अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के के मद्देनजर संविधान में कई प्रावधानों को शामिल किय गया है। इनमें से निम्नलिखित दो अधिनियमों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलफ छुआछूत और अत्याचार को खत्म करना है। इसलिए ये अधिनियम अनुसूचित जातियों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है।

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, छुआछूत अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया गया अैर इससे संबंधित अधिसूचना 8 मई, 1955 को जारी की गयी। इसके उपरांत इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1976 में 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' के तौर पर दोबारा नामकरण किया गया। वर्ष 1977 में इस अधिनियम के तहत नियम ''नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977'' से संबंधित अधिसूचना जारी की गयी। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा लागू किया गया है।[4]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989, 30 जनवरी, 1990 से अस्तित्व में आया। इस कानून का उद्देश्य गैर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूतिचत जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। इस अधिनियम के तहत व्यापक नियमों से युक्त 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1955' संबंधी अधिसूचना वर्ष 1955 में जारी की गयी थी। जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास संबंधी नियम भी शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर अधिनियम के दायरे में पूरा देश आता है। यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासिक प्रदेशों के प्रशासनों के द्वारा लागू किया गया जिन्हें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाए।

तालिका 1: क्या थारू जनजाति लैगिंक विभेद की समस्या नहीं दिखाई देती है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	24	12.00	06	03.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	48	24.00	16	08.00
56 से अधिक	48	24.00	02	01.00
योग	156	78.00	44	22.00

भारत का संविधान लिंग–समानता को सैद्धान्तिक स्तर पर स्वीकार करता है। न्याय की समानता के प्रति भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता है। विधि के समक्ष सभी समान हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव कानूनन अवैध है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्यों के लिए निर्देश है कि वे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं जो समानता के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। थारू समाज में भी लैगिंक विभेद की समस्या बनी हुई है। महिलाओं को संपूर्ण अधिकार नहीं है। लिंग के आधार पर महिला–पुरुष में विभेद मौजूद है। अध्ययन के दौरान भी अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

यद्यपि साधारणतः थारू परिवार के रहन–सहन और जीवन शैली को देखने पर महिलाओं का अधिक महत्व दिखाई देता है। परन्तु अंतर्निहित पक्षों के विश्लेषण से जाहिर होता है कि थारू परिवारों में भी महिलाओं के साथ सबकुछ ठीकठाक नहीं है। इन परिवारों में भी लैंगिक विभेद का दंश मौजूद है :

मरदवा अइले हरिया जे पिलइ होऽऽऽ
जानू से बकबक करइ होऽऽऽ
सजनमा मोरा मारइ होऽऽऽ
दुखिया केकरा से बोलियइ होऽऽऽ

तालिका 2: क्या थारू परिवारों में महिलाओं को अधिक वर्चस्व प्राप्त होता है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	06	03.00	24	12.00
26 से 45	20	10.00	36	18.00
46 से 55	16	08.00	48	24.00
56 से अधिक	02	01.00	48	24.00
योग	44	22.00	156	78.00

भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। सदियों से पितृसत्ता के दंश को भारत वर्ष की महिलाएँ झेल रही है। परिवार के अहम फैसलों में भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। जाहिर है कि थारू जनजाति में अभी भी शिक्षा का घोर अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण महिला सशक्तिकरण की दिशा शिथिल है। ऐसे में महिलाओं को परिवार में समुचित स्थान तथा वर्चस्व प्राप्त नहीं है। अध्ययन के दौरान भी सीमित उत्तरदात्रियों का ही सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 3: क्या पारिवारिक निर्णयों में महिलाएँ अधिक कारगर सिद्ध होती है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	22	11.00	08	04.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	48	24.00	16	08.00
56 से अधिक	48	24.00	02	01.00
योग	154	77.00	46	23.00

भारतीय समाज में परिवार के अहम फैसलों में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त नहीं है। परिवार के अहम फैसले पुरुष सदस्य ही लेते है। चुनाव के दौरान भी परिवार के पुरुष सदस्य ही यह फैसला करता है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। अध्ययन के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आयी। थारू समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। परिवार के अहम फैसलों में उनकी भागीदारी होती है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 4: क्या थारू लोकगीतों तथा नृत्यों में आधुनिक फिल्मी गानों का भी प्रभाव दिख रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	24	12.00	06	03.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	48	24.00	16	08.00
56 से अधिक	44	22.00	06	03.00
योग	152	76.00	48	24.00

वर्तमान दौर में लोकगीतों का आधुनिकीकरण हो रहा है। विभिन्न गायकार लोकगीतों को नई तर्ज पर गा रहे है। उन लोकगीतों का विडियो कैसेट बन रहा है। इंटरनेट पर लोकगीतों का नया स्वरूप डाउनलोड किया जा रहा है। बॉलीवुड तथा भोजपुरी फिल्मों में लोकगीतों को गाया जा रहा है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

थारू परिवारों में लोकगीतों में तेजी के साथ बदलाव दिखाई देता है। पश्चिम चंपारण के गोनहा प्रखण्ड में थारू परिवारों के अध्ययन के क्रम में यह पाया गया कि उनके अधिकतर गाँव में बिजली नहीं गयी है। परन्तु बैट्रा के जरिए स्मार्टफोन तथा कम्प्यूटर आदि का भी इन परिवारों में कुछ लोग उपयोग करते है। कहीं–कहीं सामुहिक तौर पर जेनरेटर की व्यवस्था की गयी है। बेतिया तथा मोतीहारी आदि नगरीय इलाकों के सिनेमा हॉल में थारू परिवार के लोग फिल्म देखने भी जाते है। अतः उनके लोकगीतों में भी आधुनिक धुन तथा भाव दिखाई पड़ता है। साथ ही उनकी बोलचाल भाषा में भी कुछ मिलावट देखने को मिलती है। आधुनिक फिल्म के तर्ज पर रचित एक लोकगीत को थारू नवयुवक ने नाल और मृदंग के साथ अध्ययन के क्रम में गाया। उसी गीत का एक अंश प्रस्तुत है :

चुड़िया ना लोभइ मनमा
सबनमा ना लोभइ दिलवा
सजनमा तोरे बिना सब झूस हउ

तालिका 5: क्या थारू लोकगीतों के संकलन के लिए डिजिटल कैमरा तथा स्मार्टफोन आदि का भी उपयोग हो रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नही	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	18	09.00	12	06.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	34	17.00	30	15.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	124	62.00	76	38.00

वर्तमान दौर सूचनाक्रांति का दौर है। थारू जनजाति के युवा सूचनाक्रांति से जुड़ रहे है। उनका आधुनिकीकरण हो रहा है। उनमें वैश्वीकरण की दिशा तीव्र हुई है। अब अधिकांश युवाओं के हाथ में डिजिटल कैमरा तथा स्मार्टफोन को देखा जा सकता है। अध्ययन के दौरान भी यह अनुभव किया गया कि थारू जनजाति में अधिकांश घरों में स्मार्टफोन पाया गया। अधिकांश युवाओं के पास स्मार्टफोन था। कम्प्यूटर, लैपटॉप भी कुछ परिवारों में पाया गया। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 6: क्या थारू जनजाति में सर्व शिक्षा अभियान के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नही	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	20	10.00	10	05.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	32	16.00	32	16.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	120	60.00	80	40.00

2001 में आरंभ हुआ सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए भारत में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। इसके समग्र लक्ष्यों में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच एवं अवधारणा, लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को पाटना और बच्चों के अध्ययन स्तर मे महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करना होता है। शिक्षा ने विकास के नए आयाम को खोल दिया है। शिक्षा सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब थारू जनजाति के बच्चे भी सुबह उठकर पीठ पर बैग टांगकर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हुए देखे जा सकते है।

थारू जनजातियों में भी पढ़ने–लिखने के प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ है। गाँव में इस बात की जोरदार चर्चा थी कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी में थारूओं के लिए सुविधा है। अब थारू जनजाति के कई लोकगायक शिक्षा तथा पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी लोकगीत रचते हैं तथा उसे गाते भी है। लोकगीत का एक अंश प्रस्तुत है :

बेटवा पढ़तइ हो, बेटिया बढ़तइ हो
घरवा में रोशन करतइ हो
हे महुआ के डारी
हे महुआ के गछवा तोरा पुजवउ होअऽऽऽ
बेटवा के दिल्ली भेजवइ होऽऽऽ

तालिका 7ः क्या थारू विकास मिशन योजना के तहत थारू जनजाति का व्यापक पैमाने पर विकास हुआ है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	16	08.00	14	07.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	40	20.00	24	12.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	128	64.00	72	36.00

भारत तथा बिहार सरकार ने थारू के विकास के लिए तरह–तरह के कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्यवन किया है। थारू परिवार के लिए तरह–तरह की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों ने बताया कि उनको इसका लाभ मिल रहा है। इसके विपरीत कुछ उत्तरदात्रियों ने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण प्रत्येक थारू परिवार का कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

तालिका 8ः क्या थारू जनजाति से जुड़े सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में आधारभूत संरचना का विकास तेजी से हो रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	16	08.00	14	07.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	44	22.00	20	10.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	132	66.00	68	34.00

हाल के वर्षों में थारू जनजाति से जुड़े प्रखंडों एवं पंचायतों में आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है। अधिकांश गाँवों में पक्की सड़क, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्रों की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। प्रखंडों तथा पंचायतों में विद्यालय खोले जा रहे है। सूचना तकनीक से गाँवों को जोड़ा जा रहा है। अध्ययन के दौरान भी अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया। तालिका 8 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

तालिका 9: क्या वन्य कानून के कारण थारू का परंपरागत आर्थिक ढ़ाँचा प्रभावित हुआ है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	18	09.00	12	06.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	34	17.00	30	15.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	124	62.00	76	38.00

थारू समाज वन से जुड़ा हुआ है। सदियों से थारू समाज का वन ही घर था। वे आर्थिक उपार्जन के लिए पुर्ण रूप से वन पर ही निर्भर थे। परन्तु हाल के वर्षों में वन्य कानून के कारण थारू का परंपरागत आर्थिक ढ़ाँचा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। वन्य कानून के कारण उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया। तालिका 9 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

तालिका 10: क्या थारू जनजाति में सरकारी स्तर के कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण सामाजिक आर्थिक विकास परिलक्षित होता है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नही	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	20	10.00	10	05.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	32	16.00	32	16.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	120	60.00	80	40.00

सरकार के द्वारा थारू जनजाति के लिए विभिन्न–विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जाहिर है कि वर्तमान में थारूओं का सामाजिक विकास का एक मुख्य कारण कल्याणकारी कार्यक्रम भी है। कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण ही थारू परिवार के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा उनके विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्यवन किया जा रहा है। सरकारी नौकरी में भी थारू जनजाति को विशेष आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त तालिका के आधार पर तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिडोक्रोफ्ट, जेम्स, 2004, हॉबहाउस : लिबरेलिस्म एण्ड अदर राइटिंग, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, पृ0 123
2. वॉस, किम एण्ड कॉनेल, 1990, फार्मल ऑर्गेनाइजेशन एण्ड द फेट ऑफ सोशल मुवमेन्ट्स, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यु, पृ0 52
3. मिडोक्रोफ्ट, जेम्स, 2008, हॉबहाउस : लिबरेलिस्म एण्ड अदर राइटिंग, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, पृ0 123
4. भारत 2013, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0 268

❖◆❖